महेन्द्र सिंह बनाम गैन्दी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible] — 103/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
04.12.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस हेतु अवसर चाहते है। वकील प्रार्थी को न्यायहित मे अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19.12.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
[illegible].12.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित स्थगन आदेश को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.10.2024 को मूल वाद पत्र उनवानी महेन्द्र सिंह बनाम गैन्दीदेवी वगै0 के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3460, 3461 कुल किता 2 कुल रकबा 1.83 हैक्टर व खसरा नम्बर 3478, 3479, 3481, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 352, 3503, 3504 कुल किता 11 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर के मौका एवं राजस्व [illegible] यथास्थिति बनाये रखेंगें। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:35 IST
Reason: SelfAttested